राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 8470 दिनांक : 31.3.11

—: कार्यालय आदेश :—

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखा कर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 8-04-2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त सहायक लेखाधिकारी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें।

1. ऑन लाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों, जिनको आपके द्वारा बजट आवंटन किया जाता है की निम्नांकित प्रारूप में सूचना :—

S. No	Name of Office	Name of Head of Office	GPF No. of Head of Office	Address of Office	Phone No.	E-Mail ID	Name of Treasury/Sub Treasury
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :— जिन कार्यालयों के E-Mail ID उपलब्ध नहीं है उनके लिये कॉलम नं0 7 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का E-Mail ID अंकित करें।

2. सभी बजट मदों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 तक के अन्तिम व्यय विवरण प्रपत्र, समस्त सहा. लेखाधिकारी जोन कार्यालय उनके क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टी.बी. क्लिनिक, जिला कुष्ठ रोग, सहायक औषधि नियत्रंक कार्यालयों से एकत्रित कर प्रस्तुत करेंगे। शेष कार्यालयों के व्यय विवरण पत्र सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी प्रस्तुत करेंगे।
3. 31 मार्च, 2011 तक के अनुपयोगी वाहन/सामग्री के निस्तारण सम्बन्धी प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र में।
4. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(12)वित्त–1(1)आ.व्यय/2007 दिनांक 27.01.11 के अनुसार संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के पैरा 2.3 के क्रम में अनुपयोगी वाहनों/सामानों के निस्तारण से प्राप्त राशि को जमा कराने हेतु सभी राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष एवं उप मुख्य शीर्ष खोले जाने की सूचना दी गई थी जिसकी प्रति निदेशालय के पत्रांक लेखा/एफ–15/अनु.वाहन/सामग्री/10–11/8588 दिनांक 13.03.11 से भिजवायी जा चुकी है अनुपयोगी वाहनों/सामग्री के निस्तारण से प्राप्त राशि (आय) को उक्त परिपत्र में जारी दिशानिर्देशानुरूप लेखाशीर्षों में जमा कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में यदि उक्त मदों की प्राप्त आय अन्य बजट शीर्षों में जमा करा दी गयी है तो इसको हस्तान्तरण प्रविष्टि के माध्यम में उपयुक्त शीर्ष में हस्तानान्तरित करवायी जावें। अतः सभी सम्बन्धित अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुपयोगी वाहन/सामग्री के निस्तारण से प्राप्त राशि की सूचना मय सम्बन्धित जमा मद के बैठक में उपलब्ध करावें।
5. महालेखाकार, आन्तरिक जाँच एवं निरीक्षण विभाग से सम्बन्धित विशेष जाँच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अभियान में प्राप्त अनुपालनाएं।
6. अन्य सूचनाऐं जो नियमित रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 8470 दिनांक : 31.3.11

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कलयाण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन........................
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
11. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर कृपया इस आदेश को विभाग की वेब–साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
13. केयर टेकर, कृपया दिनांक 08/04/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

D:\Rajendra ji AAO\Letter 2.doc